संरक्षण संबंधित कानूनों की संक्षिप्त जानकारी[१]

अनुसूचित जनजाति व अन्य आदिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, २००६

KALPAVRIKSH

कल्पवृक्ष

अनुसूचित जनजाति व अन्य आदिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, २००६

यह अधिनियम वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है और साथ ही उन समुदायों को भी जो पारंपरिक रूप से पीढ़ियों से जंगल में रहते आए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य उस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का है, जिसके कारण अभी तक समुदायों के वन अधिकारों को कानूनी मान्यता नहीं मिल सकी है।

१. इस अधिनियम के तहत कौन अधिकारों के लिए दावा कर सकता है?

दो श्रेणी के लोग इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों का दावा कर सकते हैंः

- वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातिः अनुसूचित जनजाति के लोग जो मुख्यतः वनों में रहते हैं व वनभूमि पर[२], अपनी प्रमाणिक आजीविका की ज़रूरतों के लिए निर्भर हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति अंतर्गत आने वाले चरवाहा समुदाय भी शामिल है।
- अन्य पारंपरिक आदिवासीः कोई भी व्यक्ति, जो १३ दिसम्बर २००५ से पहले, पिछली ३ पीढ़ियों से, अपनी प्रमाणित आजीविका की ज़रूरतों के लिए मुख्य रूप से वनों या वनभूमि पर रहते हैं या निर्भर हैं।

२. इस अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार दिए जा सकते हैं?

लोग व समुदाय निम्नलिखित अधिकारों का दावा कर सकते हैं (खंड ३)ः

१) वनभूमि पर अकेले या समुदायिक रूप से रहने व उसके नियंत्रण[३] का अधिकार। इस अधिकार की ४ शर्ते हैंः

क. भूमि का उपयोग आवास या आजीविका चलाने हेतु कृषि के लिए ही किया जाए।

ख. भूमि पर १३ दिसम्बर, २००५ के पहले से कब्ज़ा रहा हो।

---

१ दिव्या राधाकृष्णन व ध्रुव सिंह, सिमबाएसिस सोसाइटी के लॉ कालेज (पुणे) के विद्यार्थियों, द्वारा कल्पवृक्ष के लिए, आशीष कोठारी व नीमा पाठक के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। संपादकीय सहयोग तेजस्वनी आपटे व एरिका तारापोरवाला ने दिया। यह वैधानिक टिप्पणियां प्रत्येक कानून के मुख्य प्रावधानों को आसान शब्दों में उपलब्ध कराने के लिए हैं इसलिए इनमें कानूनों का विश्लेषण शामिल नहीं है।

२ ''वन भूमि'' का मतलब है ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसे कानूनी रूप से ''वन'' घोषित किया गया है चाहें वहां वास्तव में वन हो या नहीं।

३ यह स्पष्ट नहीं है कि ''नियंत्रण'' का मतलब पूर्ण स्वामित्व है या नहीं।

ग. केवल कब्ज़े के आधीन क्षेत्र पर ही अधिकार का दावा हो।

घ. भूमि ४ हैक्टेयर से अधिक न हो।

२) सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार (स्वतः उपयोग का अधिकार) या वे अधिकार जो पूर्व रियासतों, जमींदारी या इस प्रकार की अन्य शासन प्रणालियों में मान्य थे।

३) गैर काष्ठीय वन संसाधनों को इकट्ठा करने या उपयोग का अधिकार। यह सिर्फ उन्हीं वन संसाधनों के लिए मान्य है जो अधिकार-पात्र परंपरागत रूप से गांव के अन्दर या बाहर से इकट्ठा करते आए हैं। इसमें सभी प्रकार की पौध प्रजातियाँ बाँस, पेड़ों के ठूँठ, बेंत, शहद, मोम, टसर, ककून, लाख, तेन्दू (या केंदू) की पत्तियाँ, औषधीय पौधे, जड़ें, जड़ी-बूटियाँ, कंद इत्यादि शामिल हैं।

४) अन्य सामुदायिक अधिकार, जैसे - मछली व पानी के अंदर से पारंपरिक रूप से निकाले जाने वाले अन्य संसाधनों पर अधिकार, चरवाहों या घुमंतु समुदायों का मवेशी चराने या पारंपरिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों का मौसमी उपयोग करने का अधिकार।

५) आज भी अत्यधिक प्राचीन आदिवासी समाज व आदिवासियों व गैर-कृषक समुदायों को एक कानूनी अवधि[४] के लिए आवास हेतु दी गई भूमि पर अधिकार।

६) राज्य में किसी भी श्रेणी की भूमि, जिस पर अलग-अलग दावेदारों के कारण विवाद की स्थिति है, पर अधिकार।

७) किसी भी राज्य सरकार द्वारा वन भूमि पर दिए गए इजारे, दान या पट्टे को स्वामित्व में तब्दील करने का अधिकार।

८) निम्नलिखित प्रकार के आवास-स्थलों को राजस्व ग्राम बनाने का अधिकारः वन ग्राम, पुराने आवास[५], असर्वेक्षित ग्राम व अन्य ग्राम जो वनों में बसे हों। इसमें वे गांव/आवास भी शामिल हैं जो अभिलेखित और अधिसूचित किये जा चुके हैं, और वे भी जो अभिलेखित और अधिसूचित नहीं है।

९) अगर कोई समुदाय किसी वन क्षेत्र का पारंपरिक रूप से संरक्षण कर रहा है तो उस सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र के संरक्षण, पुनर्जनन व सुरक्षा करने का अधिकार।

---

४ यह स्पष्ट नहीं है कि ''कानूनी अवधि'' का मतलब पूर्ण स्वामित्व है या नहीं।

५ परिभाषा नहीं दी गई है। संभवतः यह वे गांव हैं जो रिकार्डो में न तो राजस्व गांव और न ही वन-ग्राम के रूप में दर्जित हैं।

१०) निम्नलिखित प्रकार के कानूनों द्वारा मान्य अधिकारः
(क) राज्य कानून (ख) किसी भी स्वायत जिला परिषद के कानून (ग) किसी भी स्वायत क्षेत्रीय परिषद के कानून (घ) आदिवासियों के अधिकार जो किसी भी राज्य द्वारा मान्य संबंधित आदिवासी समुदाय के परंपरागत कानून का हिस्सा हैं।

११) जैवविविधता के उपयोग और जैवविविधता व सांस्कृतिक विविधता से संबंधित जानकारी की बौद्धिक संपदा पर सामुदायिक अधिकार।

१२) अन्य पारंपरिक अधिकार जो ऊपर लिखे नहीं गए हैं पर समुदाय लंबे समय से प्रयोग करते आए हैं। लेकिन इनमें जंगली जानवरों के शिकार या पकड़ने या उनके शरीर के अंग निकालने के पारंपरिक अधिकार शामिल नहीं है। (यहाँ ''जंगली जानवर'' का मतलब है कोई भी जानवर जो वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, १९७२ के शेड्यूल १ से ४ में वर्णित है या प्राकृतिक रूप से जंगली है)।

१३) जहाँ लोगों/समुदायों को, १३ दिसम्बर, २००५ से पहले, उनके वर्तमान कब्ज़ों से विस्थापित किया गया हो या ग़ैर-कानूनी रूप से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया हो और उन्हें पुनर्वास न दिया गया हो, वहां या तो उसी भूमि या किसी वैकल्पिक भूमि पर पुर्नवास का अधिकार।

१४) विकास सुविधाओं का अधिकार। केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए वन भूमि का उपयोग कर सकती है। इनका प्रबंध सरकार करेगी और इन्हें वन संरक्षण अधिनियम की पाबंदियों से छूट होगीः
क. विद्यालय
ख. अस्पताल या दवाखाने
ग. राशन की दुकानें
घ. बिजली व फोन की लाइनें
ङ. टंकिया या अन्य छोटे तालाब
च. पेयजल के लिए पानी के पाईप
छ. सूक्ष्म-सिचाईं नहरें
ज. पानी या बारिश का पानी संग्रह करने के ढ़ाँचे
झ. ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत
ञ. हुनर बढ़ाने व व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
ट. आंगनवाड़ी

ठ. सड़कें

ड. समुदाय केन्द्र

परन्तु वन भूमि के इस प्रकार के उपयोग को तभी स्वीकृति मिल सकती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों:

- उपयोग में आने वाली वन भूमि १ हैक्टेयर से कम हो।
- १ हैक्टेयर में ७५ (या उससे कम) पेड़ ही काटने पड़ें।
- ऐसे विकास कार्यक्रमों को ग्राम सभा की स्वीकृति हो।

आदिवासी अनुसूचित जनजातियों व पारंपरिक रूप से वनों में रह रहे अन्य समुदायों को उस ज़मीन पर लौटने का अधिकार है, जहाँ से उन्हें विस्थापित किया गया था, यदि वे स्थापित कर सकें कि:

- उन्हें राज्य सरकार ने बिना कोई मुआवज़ा दिए, विकास कार्यक्रमों के लिए विस्थापित किया था।
- और जिस भूमि से उन्हें विस्थापित किया गया था उस पर भूमि अधिग्रहण के ५ साल बाद भी वह योजना लागू नहीं की गई जिसके लिए लोगों को हटाया गया था (खण्ड ४(८))।

इस अधिनियम के तहत् अधिकारों को मान्यता देने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि परियोजना के प्रस्तावकर्ता या लाभार्थियों द्वारा (खण्ड ४(७)):

- परिस्थितिकीय मुआवजे के रूप में 'कुल वर्तमान मूल्य' (मतलब, गैर-वानिकी कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे वन भूमि के लिए एक निश्चित राशि प्रति हैक्टेयर) अदा की जाए।
- अधिनियम में जो निर्धारित है उसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार का 'क्षतिपूर्ति वनरोपण' करवाया जाए।

३. क्या अधिकार विरासती तौर पर या किसी और को हस्तांतरित किए जा सकते हैं?

अधिकार विरासत में अगली पीढ़ी प्राप्त कर सकती है पर इस अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों को खरीदा या बेचा भी नहीं जा सकता। अधिकार का पंजीकरण संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों के नाम में या महिला-प्रमुख परिवार में महिला के नाम में होना चाहिए। उत्तराधिकारी न होने पर, अधिकार निकटतम संबंधी को विरासत के तौर पर मिल सकते हैं (खण्ड ४(४))।

४. क्या ऊपर लिखे हुए अधिकारों का दावा करने से पहले आदिवासियों को विस्थापित किया जा सकता है?

किसी भी अनुसूचित जनजाति या पारंपरिक आदिवासी को उनके आवास की वन भूमि से नहीं हटाया जा सकता, जब तक उनके अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी न हो गई हो (खण्ड ४(५))।

५. किस प्रकार की भूमि पर ऐसे अधिकार दिए जा सकते हैं?

हर प्रकार की ''वन भूमि'' पर ऐसे अधिकार दिए जा सकते हैं। ''वन भूमि'' को निम्नलिखित परिभाषा दी गई है - ''किसी भी प्रकार की भूमि जो वन क्षेत्र में आती हो जिसमें अवर्गीकृत वन, वर्तमान समय में कहलाए जाने वाले वन, रक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान सभी शामिल हैं।''

६. संरक्षित क्षेत्रों में अधिकारों की क्या स्थिति है?

इस अधिनियम में वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत घोषित अभ्यारण्यों व राष्ट्रीय उद्यानों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों के अंदर क्षेत्रों को ''अति महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास-स्थल'' घोषित किया जा सकता है। ये ऐसे क्षेत्र होंगे जहां ''वैज्ञानिक व निष्पक्ष मापदण्डों'' से यह निर्धारित किया गया हो कि इन्हें ''वन्यजीव संरक्षण के लिए अध्वंसनीय'' रखने की जरूरत है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान एक विशेषज्ञ कमिटि की सलाह से की जाएगी, जिसमें स्थानीय विशेषज्ञ भी शामिल हेांगें।

राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के भीतर ''अति महत्वपूर्ण वन्यजीवन आवास-स्थलों'' में इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाले अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन यह आवश्यक है कि इस बदलाव के कारण अधिकार-धारकों/हकदारों के अधिकार पर दुष्प्रभाव न पड़े।

फिर भी, जिस स्थिति में निम्नलिखित सभी शर्तें कायम रहें, अधिकारों को बदला जा सकता है और विस्थापन हो सकता है (खण्ड ४(२))ः

१) जब अधिकारों को मान्यता देने व उनकी बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई हो।

२) जब राज्य सरकार की संबंधित एजेन्सियाँ ये स्थापित कर सकें कि इन हकदारों के रहने या अधिकृत उपयोग के कारण किसी विशिष्ट प्रजाति या उसके

आवास को ऐसी क्षति पहुंचेगी जिसकी कभी आपूर्ति नहीं की जा सकती या उसके अस्तित्व को खतरा पहुंचेगा।

३) जब राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गई हो कि अब और कोई उचित विकल्प (जैसे - हकदारों और वन्य जीवों के बीच सह-अस्तित्व या आपसी मेलजोल से रहने) उपलब्ध नहीं है।

४) जब पुनर्वास के लिए योजना बना ली गई हो और हकदारों को उसके विषय में उचित जानकारी दी गयी हो। यह भी ज़रूरी है कि यह पुनर्वास योजना केन्द्रीय सरकार के कानून व नीतियों के अनुसार हो, प्रभावित लोगों की ज़रूरतें पूरी करे और उनके लिए एक सुरक्षित आजीविका उपलब्ध कराए।

५) जब संबंधित ग्राम सभा ने स्वतंत्र रूप से व पूरी जानकारी के साथ विस्थापन के लिए अपनी स्वीकृति लिखित रूप में दे दी हो।

६) जब पुनर्वास-स्थल पर सभी सुविधाएँ व भूमि-आबंटन की प्रक्रियाएँ पूरी हो गई हों।

इन सब शर्तों को पूरा किए बिना कोई विस्थापन नहीं किया जा सकता।

जिन ''अतिमहत्वपूर्ण वन्यजीव आवास-स्थलों'' से हकदारों को वन्यजीव संरक्षण के कारण विस्थापित किया गया हो, उस स्थल को बाद में केन्द्रीय या राज्य सरकार किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं कर सकती।

७. क्या हकदारों की संरक्षण के प्रति कोई जिम्मेदारी है?

किसी भी प्रकार के हकदारों, जिसमें ग्राम सभा व स्थानीय ग्राम स्तर की संस्थाएँ (उन क्षेत्रों की जहाँ हकदार रहते हैं) भी शामिल हैं को शक्तियाँ दी गई हैं कि वे (खण्ड ५):

१) वन्य जीव, वन व जैव विविधता की सुरक्षा कर सकते हैं।

२) आसपास के पानी के स्रोत व उनके जलरोधक क्षेत्र व अन्य परिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा कर सकते हैं।

३) वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों व अन्य पारंपरिक आदिवासियों के आवास-स्थलों को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ण प्रक्रियाओं से बचा सकते हैं जिससे कि इन समुदायों की सांस्कृतिक व वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

४) यह सुनिश्चित करें कि सामुदायिक वन उपयोग को ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और वनों, वन्यजीवों व जैव विविधता पर दुष्प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

८. इस अधिनियम के अन्तर्गत किस संस्था को क्या अधिकार दिए गए हैं? (खण्ड ६)

१) ग्राम सभा : ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों या समुदायों के वनाधिकार और उनकी सीमाएँ निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरु करने का अधिकार है। ग्राम सभा सभी दावों को औपचारिक रूप से प्राप्त करेगी व उन्हें इकट्ठा करके उनकी जाँच के बाद प्रत्येक दावे के क्षेत्र का मानचित्र बनाकर, इस दावे को स्पष्ट करते हुए एक प्रस्ताव पारित करेगी। इस प्रस्ताव की एक प्रति सब-डिविज़नल स्तर की कमिटि को भेजी जाएगी।

२) सब-डिविज़नल स्तर की कमिटि : राज्य सरकार इस कमिटि का गठन करेगी। यह कमिटि ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की जाँच करके, वनाधिकारों का रिकार्ड तैयार कर उसे सब-डिविज़नल अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की कमिटि को अंतिम निर्णय के लिए भेजेगी।

३) जिला स्तरीय कमिटि : राज्य सरकार एक जिला-स्तरीय कमिटि का गठन करेगी, जो वन अधिकारों के रिकॉर्ड को अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगी।

४) राज्य-स्तरीय निरीक्षण कमिटि : राज्य सरकार, एक राज्य स्तरीय निरीक्षण कमिटि का भी गठन करेगी जो वन अधिकारों को मान्यता देने व अधिकारों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया का निरीक्षण करेगी। आवश्यकता पड़ने पर यह कमिटि केन्द्रीय सरकार की एजेन्सी को रिपोर्ट भी दे सकती है।

५) केन्द्रीय सरकार की निर्धारित नोडल एजेन्सी : इस अधिनियम के अंतर्गत जनजातियों के मामलों से संबंधित मंत्रालय, या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

९. कौन लोग सब-डिविज़नल, जिला-स्तरीय, राज्य-स्तरीय निरीक्षण कमिटियों में शामिल हो सकते हैं?

इन कमिटियों में राजस्व, वन व जनजातीय मामलों से संबंधित राज्य स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, ३ सदस्य संबंधित पंचायती राज संस्थाओं से, जिनमें कम से कम २ सदस्य अनुसूचित जनजाति व एक महिला हो।

१०. क्या इन अधिकृत लोगों या कमिटियों के निर्णयों और प्रस्तावों के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है? (खण्ड ६)

इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव के विरुद्ध सब-डिविज़नल कमिटि में, प्रस्ताव पारित होने के ६० दिन के अंदर, याचिका दायर की जा सकती है।

कमिटि शिकायतकर्ता के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती जब तक शिकायत करने वाले को ठीक से अपनी बात कहने का मौका न मिला हो।

सब-डिविज़नल कमिटि के निश्चय से असंतुष्ट होने पर, ६० दिन के अंदर जिला स्तरीय कमिटि में अपील की जा सकती है।

११. अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या सज़ा है? (खण्ड ७)

किसी भी प्राधिकरण, कमिटि या उनके सदस्य जिन्होंने इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है - उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही या जुर्माना (रूपये १,००० रूपये तक) किया जा सकता है।

लेकिन, अगर प्राधिकरण या कमिटि साबित कर सकें कि उनकी जानकारी के बिना गलती हुई है या उन्होंने भली मंशा से काम किया था, तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा।

१२. इस अधिनियम को कब लागू किया गया?

इस अधिनियम के प्रावधानों को दिसंबर २००६ में पारित किया गया। १ जनवरी २००८ को अधिनियम के नियम बन जाने के बाद अब यह लागू हो गया है।

संरक्षण संबंधित कानूनों की संक्षिप्त जानकारी

अनुसूचित जनजाति व अन्य आदिवासी
(वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, २००६

चित्रांकन: मधुवंती अनंतराजन

अनुवाद: निधि अग्रवाल

प्रकाशित: कल्पवृक्ष, अपार्टमेन्ट ५ श्री दत्तकृपा,
९०८ डेक्कन जिमखाना, पुणे-४११००४

फोन: ९१-२०-२५६७५४५०,

फोन/फैक्स: ९१-२०-२५६५४२३९

ईमेल: kvoutreach@gmail.com

वेबसाइट: www.kalpavriksh.org

आर्थिक सहयोग: मिज़रिओर, जर्मनी